निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20 / 2024
दायरा दिनांकः–24.06.2024
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. पहलवान उर्फ कालु आयु 23 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह
2. भीमसिंह उर्फ बलवीर सिंह आयु 19 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह
3. कृष्णा सिंह उर्फ गुड्डी बाई आयु 56 वर्ष पत्नि प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह समस्त जाति अहिर निवासी गेहुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बनवीर मेहता – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति है, जिनकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम गैहूखेड़ी पटवार हल्का जैपला तहसील छबड़ा में खाता संख्या 135 / 134 में खसरा नंबर 11 / 386 रकबा 0.5564, खसरा नंबर 20 / 1 रकबा 0.3162 खसरा नंबर 253 / 2 रकबा 0.5944, खसरा नंबर 264 / 1 रकबा 1. 1888 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.6568 में हिस्सा प्रत्येक का 1 / 2 है, इसी प्रकार से शामलाती कृषि भूमि पाम गैहूखेड़ी पटवार हल्का जैपला तहसील छबड़ा में खाता संख्या 134 / 133 में खसरा नंबर 254 रकबा 0.3667 व खसरा नंबर 255 रकबा 1.2646 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.6313 में प्रत्येक का हिस्सा 1 / 9 अवस्थित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात में बतौर काश्तकार के नाम इन्तकाल मे दर्ज कराते समय बोलते नाम दर्ज हो गये है, उक्त नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है। खातेदार प्रार्थी कम 1 कालू का सही व वास्तविक नाम पहलवान है जो कि आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज में भी पहलवान पुत्र प्रेमनारायण दर्ज है। खातेदार प्रार्थी कम 2 बलवीर सिंह का सही व वास्तविक नाम भीमसिंह है जो कि आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज में भी भीमसिंह पुत्र प्रेमनारायण दर्ज है। खातेदार प्रार्थी कम 3 गुड्डीबाई का सही व वास्तविक नाम कृष्णा बाई है जो कि आधार कार्ड, जनआधार व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नकार्ड व अन्य दस्तावेज में भी कृष्णा बाई पत्नि प्रेमनारायण दर्ज है। प्रार्थीगण अपने उक्त नाम रेकार्ड मे दुरूस्त कराने बाबत कही बार राजस्व कर्मचारीयो से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा असमर्थता बताई गई। प्रार्थीगण पहलवान उर्फ कालू पुत्र प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह 2. भीमसिंह उर्फ बलवीर सिंह पुत्र प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह 3. कृष्णा बाई उर्फ गुड्डीबाई पत्नि प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह समस्त जाति अहिर निवासी गेहूखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बांरा राज०के हे तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त सही व वास्तविक नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 135 नकल जमाबन्दी ग्राम गेहुखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 134 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड पहलवान, आधार कार्ड भीमसिंह, आधार कार्ड कृष्णा बाई, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रेमनारायण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो शामलाती खातेदारी में दर्ज है खातेदार कालु का सही व वास्तविक नाम पहलवान है बलवीर सिंह का सही व वास्तविक नाम भीमसिंह है एवं गुड्डी बाई का सही नाम कृष्णा बाई है सभी खातेदारों के अन्य दस्तावेज में सही नाम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीगण का नाम दुरूस्त किया जावे। प्रार्थीगण पहलवान उर्फ कालु पुत्र भीमसिंह उर्फ बलवीर पुत्र कृष्णा बाई उर्फ गुड्डी बाई पत्नि प्रेमनारायण उर्फ प्रेमसिंह जाति अहीर दर्ज किया जावे। ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकें। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गेहुखेडी में वर्तमान जमाबनदी रिकार्ड में खाता संख्या 135 में कालु पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 1/12 बलवीर सिंह पुत्र प्रेमसिंह हिस्सा 1/12 एवं गुड्डी बाई पत्नि स्व0 प्रेमसिंह हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी रिकार्ड में खाता संख्या 134 में भी उक्त खातेदार उपरोक्त नाम के साथ तथा प्रत्येक का हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है ग्राम वासियान तथा सह खातेदारों से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि खातेदार कालु का नाम सभी दस्तावेजो में पहलवान दर्ज है, बलवीर सिंह का नाम सभी दस्तावेजों में भीमसिंह दर्ज है तथा गुड्डी बाई का नाम सभी दस्तावेजो में कृष्णा बाई दर्ज है पूर्व में फोती इन्तकाल दर्ज करते समय इनके बोलतें हुए नाम कालु बलवीर सिंह तथा गुड्डी बाई दर्ज हो गए तथा वर्तमान तक जमाबन्दी रिकार्ड में यही नाम चलतें आ रहे है परन्तु इनका वास्तविक नाम कालु का पहलवान बलवीर सिंह का भीमसिंह तथा गुड्डी बाई का कृष्णा बाई है उक्त खातेदारों को कालु बलवीर तथा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ड्डी बाई के नाम से भी जाना जाता है ग्राम वासियान तथा सह खातेदारो द्वारा बताया के उक्त खातेदारों को दोनो नाम से जाना जाता है परन्तु वास्तविक नाम दस्तावेजो के अनुसार ही है इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त खातेदार कालु उर्फ पहलवान सिंह बलवीर सिंह उर्फ भीमसिंह तथा गुड्डी बाई उर्फ कुष्णा बाई एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गेहुखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 135 नकल जमाबन्दी ग्राम गेहुखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 134 में प्रार्थीगण का नाम कालु बलवीर सिंह गुड्डी बाई दर्ज है प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात मं पहलवान, भीमसिंह पुत्र प्रेमनारायण कृष्णाबाई पत्नि प्रेमनारायण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजो में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण को दो–दो नामों से जाना जाता है तथा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है। ग्राम पंचायत जैपला द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में भी वादीगण के दोनो नाम ही व्यक्ति के होना बताया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम गेहुखेडी तहसील छबडा के खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 11/386, 20/1, 253/2, 264/1, कुल किता 4 रकबा 2.6558 है0 एवं खाता संख्या 134 के खसरा नम्बर 254 एवं खसरा नम्बर 255 कुल किता 2 रकबा 1.6312 है0 में प्रार्थीगण का नाम कालु उर्फ पहलवान पुत्र प्रेमसिंह उर्फ प्रेमनारायण बलवीर सिंह उर्फ भीमसिंह पुत्र प्रेमसिंह उर्फ प्रेमनारायण, गुड्डी बाई उर्फ कृष्णा बाई पत्नि प्रेमसिंह उर्फ प्रेमनारायण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)